Scan

S.H.Q.6

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)

NO.E(NG)I-83PM2-10. New Delhi, dated ~~30-9-1983.~~ 15-10-83

The General Managers,
All Indian Railways,
C.L.W., D.L.W. and I.C.F.

The Director General,
R.D.S.O./Lucknow.

Sub:- Restructuring of certain Group 'C' & 'D' Cadres - Switchmen's education qualifications.

Please refer to para 7 of this Ministry's letter No.PCIII/80/UPG/19 dated 29.7.1983. Arising out of certain proposals made in the Departmental Council of J.C.M. (Railways) by the staff side, the Ministry of Railways have decided that the educational qualifications for future entrants to the category of Switchmen will be increased to "Matric". The category will however, continue to provide an avenue of promotion for the category of Yard Staff as at present. This will be effective w.e.f. 1.8.1983. Necessary action may be taken accordingly.

(H.R.DHAGAT)
DEPUTY DIRECTOR ESTABLISHMENT
RAILWAY BOARD.

DA:-Nil.

No.E(NG)I-83-PM2-10. New Delhi, dated ~~30-9-1983.~~ 15-10-83

Copy (with 25 spares) forwarded to:-

1. The General Secretary, N.F.I.R., 3, Chelmsford Road, New Delhi.

2. The General Secretary, A.I.R.F., 4-State Entry Road, New Delhi.

Copy to all Staff Side members of the National Council, Departmental Council and Secretary Staff Side National Council, 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi.

FOR SECRETARY, RAILWAY BOARD.

Copy to E(REP)I,II,III, E(NG)II Branch of Board's office.

E(LR)I (60 spares)

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं0 ई (एन जी) I-83 पो एम 2-10 नयी दिल्ली, दिनांक 30-9-83

महाप्रबन्धक,
सभी भारतीय रेलें,
चि0रे0का0, डी0रे0का0 और स0हि0का0,
महानिदेशक,
अ0अ0मा0सं0, लखनऊ ।

विषय :- ग्रुप 'सी' एवं 'डी' के कुछ संवर्गों की पुनर्संरचना-स्विचमैनों की शैक्षणिक अर्हताएं ।

कृपया इस मंत्रालय के 29-7-1983 के पत्र सं0 पी सी III/80 यू पी जी/ 19 का पैरा 7 देखें । कर्मचारी पक्ष द्वारा संयुक्त परामर्श तंत्र (रेलवे) की विभागीय परिषद में किये गये कुछ प्रस्तावों में से, इस प्रस्ताव पर रेल मंत्रालय ने विनिश्चय किया है कि भविष्य में स्विचमैनों की कोटि में नये उम्मीदवारों के लिए शैक्षणिक अर्हताएं 'मैट्रिक' तक बढ़ा दी जायें । बहरहाल, इस कोटि में यार्ड कर्मचारियों की कोटि के लिए पदोन्नति की सरणि बनी रहेगी जैसा कि इस समय है । यह I-8-1983 से प्रभावी होगा । तदनुसार आवश्यक कार्रवाई करें ।

(एच0 आर0 भगत)
उप-निदेशक, स्थापना
रेलवे बोर्ड ।

संलग्न : कुछ नहीं ।

सं0 ई (एन जी) I-83-पो एम 2-10 नयी दिल्ली, दिनांक 30-9-83

प्रतिलिपि निम्नलिखित को (25 अतिरिक्त प्रतियों सहित) प्रेषित :-

1- महामंत्री, एन एफ आई आर, 3 चेम्सफोर्ड रोड, नयी दिल्ली ।
2- महामंत्री, ए आई आर एफ, 4 स्टेट एन्ट्री रोड, नयी दिल्ली ।
राष्ट्रीय परिषद, विभागीय परिषद, और सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद, 13 सी- फिरोजशाह रोड, नयी दिल्ली ।

कृते सचिव, रेलवे बोर्ड ।

प्रतिलिपि बोर्ड कार्यालय को ई(एस) I,II,III, ई (एन जी) II शाखाओं को प्रेषित ।